http://krishipravahika.vitalbiotech.org/

कृषि प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका

e-ISSN: 2583 – 0430

कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका, (2025) वर्ष 5, अंक 9, 26-29

Article ID:473

महिला और आदिवासी कृषि उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ

दिलीप कुमार गुप्ता[1*], अनिल कुमार[2], सुभाष वर्मा[3], रीता फ्रेडरिक्स[4]

[1]शिक्षण सहायक, कृषि प्रसार विभाग, कृषि विज्ञान संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी (उत्तर प्रदेश) – 284128

[2,3]सहायक प्रोफेसर, कृषि विद्यालय, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश – 470661

4मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), प्रिसिजन ग्रो (टेक विजिट आईटी प्राइवेट लिमिटेड)

*अनुरूपी लेखक

दिलीप कुमार गुप्ता*

भारतीय कृषि में महिलाओं और आदिवासी समुदायों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु संसाधनों व अवसरों की कमी के कारण उनकी उद्यमशीलता पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार एवं संस्थाओं द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गई हैं। इनमें रियायती ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, कौशल विकास, विपणन सहयोग तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। ये योजनाएँ आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और रोजगार सृजन में सहायक हैं। यदि इन योजनाओं की जागरूकता, पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, तो महिला व आदिवासी कृषि उद्यमिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सतत विकास को सशक्त बना सकती है।

कृषि ग्रामीण भारत की रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार प्रदान करती है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है और आर्थिक विकास में योगदान देती है। महिला और आदिवासी समुदाय कृषि कार्यबल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, फिर भी उन्हें संरचनात्मक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं, जो उनकी उत्पादकता और आय को सीमित करती हैं।

इनमें भूमि का सीमित स्वामित्व, औपचारिक ऋण तक पहुँच का अभाव, आधुनिक तकनीक और संसाधनों की कमी, और निर्णय-निर्माण में न्यूनतम भागीदारी शामिल हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार और विभिन्न संस्थाओं ने लक्षित प्रोत्साहन योजनाएँ विकसित की हैं। ये कार्यक्रम हाशिए पर रहने वाले किसानों को सशक्त बनाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और बाज़ार तक पहुँच सुधारने में मदद करते हैं, जिससे स्थायी आजीविका और समावेशी ग्रामीण विकास सुनिश्चित होता है।

उद्देश्य

- महिलाओं और आदिवासी जातियों में स्वरोजगार और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना
- उत्पादन दर और आय स्तर में वृद्धि करना
- वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी तक पहुँच को सुलभ बनाना
- सतत और जलवायु-सहिष्णु कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना

महिला कृषि उद्यमियों के लिए प्रमुख प्रोत्साहन योजनाएँ (Key Incentive Schemes for Women Agricultural Entrepreneurs)

कृषि प्रवाहिका
ई-समाचार पत्रिका
http://krishipravahika.vitalbiotech.org
e-ISSN: 2583 - 0430
कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका

Source:https://www.kisanofindia.com/latest-news/government-schemes-for-tribal-farmer

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

NRLM स्वरोजगार और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है जो ग्रामीण महिलाओं में यह बढ़ावा देता है। NRLM मुख्य रूप से स्व-सहायता समूह (SHGs) के माध्यम से कार्य करता है, ताकि महिलाएँ सामूहिक रूप से संगठन बना सकें, वित्तीय सेवाओं के लिए पहुँच प्राप्त कर सकें और आय-सृजन गतिविधियों को लागू कर सकें। NRLM वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण और कौशल विकास प्रदान करता है, जिससे सहायक उद्यमों और कृषि को मजबूत किया जा सके। महिलाओं को छोटे कृषि व्यवसाय, बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री और कृषि उत्पादन के लिए सब्सिडी वाले ऋण की सुविधा मिलती है। वित्तीय समावेशन, तकनीकी प्रशिक्षण और उद्यम समर्थन का संयोजन, के माध्यम से, NRLM ग्रामीण महिलाओं को उत्पादकता बढ़ाने, परिवार की आय को सुधारने और स्थानीय आर्थिक विकास के कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाता है।

2. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)

MKSP का महिलाओं के कृषि प्रभाग में सशक्तिकरण और आजीविका सुधारने के लिए एक सरकारी पहल है। यह कार्यक्रम महिलाओं को सुधारित कृषि पद्धतियाँ, जैविक खेती, कुशल जल प्रबंधन और आधुनिक फसल उपरांत तकनीकें अपनाने की स सक्षम बनाता है। MKSP वित्तीय अनुदान और छोटे पैमाने के उद्यम जैसे खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और कृषि-आधारित माइक्रो व्यवसायों को भी समर्थन प्रदान करता है। तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाज़ार संबंधों के संयोजन से यह योजना महिलाओं को सक्रिय रूप से कृषि में भाग लेने, फसल उत्पादन बढ़ाने, परिवार की आय बढ़ाने और स्थायी ग्रामीण विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। MKSP महिला आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र में लिंग समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. आदिवासी उप-योजना (Tribal Sub-Plan - TSP) और वनबंधु कल्याण योजना (Vanbandhu Kalyan Yojana)

आदिवासी उप-योजना और वनबंधु कल्याण योजना आदिवासी किसानों को सहायक क्षेत्रों, बागवानी, और कृषि में लक्षित सहायता प्रदान करती हैं। कृषि उपकरण, सिंचाई प्रणाली, और कौशल विकास प्रशिक्षण पर सब्सिडी इन कार्यक्रमों के तहत प्रदान की जाती है, जिससे उत्पादकता और आजीविका में वृद्धि हो सके। ये योजनाएँ एग्रो-फॉरेस्ट्री, पशुपालन उद्यमों के विकास, और लघु वानस्पतिक उत्पादों का विपणन जैसे काम करती हैं, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में समुदाय सतत कृषि प्रथाएँ अपनाएँ, आय को बढ़ाएँ, और आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।

4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे और माइक्रो कृषि उद्यमियों को कम-ब्याज वाले कर्ज प्रदान करती है। यह आदिवासी और महिला उद्यमियों को कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ, नर्सरी, और छोटे पैमाने के कृषि व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाती है। पूंजी संबंधी बाधाओं को कम करके, प्रधानमंत्री

मुद्रा योजना उद्यमिता को बढ़ावा देती है, स्वरोजगार को बढ़ावा देती है, और ग्रामीण कृषि व्यवसायों के विकास में योगदान करती है। यह योजना आर्थिक स्वतंत्रता मज़बूत करती है, आय स्तर को बेहतर करती है, और कृषि क्षेत्र में महिलाओं और आदिवासी समुदायों के सामूहिक विकास में मदद करती है।

5. सब्सिडी पर कृषि यांत्रिकीकरण और प्रौद्योगिकी

सरकार कृषि यांत्रिकीकरण और आधुनिक कृषि तकनीक जैसे ट्रैक्टर, सिंचाई पंप, ड्रिप इरिगेशन प्रणाली और प्रिसिजन फार्मिंग उपकरणों पर सब्सिडी देती है। ये प्रोत्साहन उत्पादकता बढ़ाने, श्रम को कम करने, और संसाधनों की दक्षता बढ़ाने के लिए हैं। आदिवासी किसानों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान तैयार किए गए हैं जिससे आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीक को सुलभ और अर्थशास्त्रीय बनाया जा सके। यह सब्सिडी सतत कृषि को बढ़ावा देती है, हाशिए पर रहने वाले किसानों को मजबूत बनाती है, और खेत की आय और कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी करती है।

6. कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) प्रकार में संस्थाएँ महिला और आदिवासी किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं, जिससे कृषि ज्ञान और उद्यमिता कौशल में बढ़ोतरी हो सके। ये कार्यक्रम फसल उत्पादन, उपरांत प्रसंस्करण, जैविक खेती, और कृषि विपणन जैसे क्षेत्रों पर कवर करते हैं। व्यावहारिक प्रदर्शन और सैद्धांतिक सूचना का संयोजन प्रशिक्षण तकनीकी विशेषज्ञता, आत्मविश्वास, और व्यापारिक कौशल को विकसित करता है। यह प्रकार की पहल हाशिये पर रहने वाले किसानों को आधुनिक प्रथाएँ अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने, छोटे उद्यमों का स्थापना करने, और सतत ग्रामीण विकास में योगदान करने के लिए सशक्त बनाती है।

कार्यान्वयन रणनीतियाँ

सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण: SHGs, Farmer Producer Organizations (FPOs), और सहकारी समितियों का गठन।

- वित्तीय समावेशन: बैंक खाते, ऋण सुविधाओं और बीमा योजनाओं तक पहुँच प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: आधुनिक कृषि तकनीक, ICT उपकरण, और ई-मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर प्रशिक्षण।
- निरीक्षण और मूल्यांकन: यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित मूल्यांकन कि लाभार्थी प्रोत्साहनों का प्रभावी उपयोग कर रहे हैं।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: NGOs, कॉर्पोरेट CSR पहल, और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग।

योजना अपनाने में चुनौतियाँ

विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की उपलब्धता के बावजूद, महिला और आदिवासी किसान अक्सर इन्हें अपनाने में चुनौतियों का सामना करते हैं। कार्यक्रमों के बारे में सीमित जानकारी भागीदारी को सीमित करती है, जबकि औपचारिक ऋण और सरकारी कार्यालयों तक पहुँच में कठिनाइयाँ बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। लिंग-आधारित सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ महिलाओं की उद्यमिता में भागीदारी को और सीमित करती हैं। दूर-दराज़ आदिवासी क्षेत्रों में खराब बुनियादी ढांचा और लगातार फॉलो-अप या तकनीकी सहायता का अभाव उद्यमों की स्थिरता में बाधा डालते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है ताकि प्रोत्साहनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो और सरकारी पहलों का अधिकतम प्रभाव प्राप्त हो सके।

सफलता की कहानियाँ और केस स्टडीज़

विभिन्न सफलता की जानकारियों में यह दिखाया जाता है कि महिला और आदिवासी कृषि उद्यमियों पर प्रोत्साहन योजनाओं का सकारात्मक असर पड़ा है। आंध्र प्रदेश और केरल में, महिला स्व-सहायता समूह (SHGs) ने डेयरी और जैविक सब्ज़ी व्यापार जमाई लाए, जिससे स्थायी आय का प्रावधान हुआा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी उद्यमी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPOs) के आरम्भ के माध्यम से लघु वानस्पतिक उत्पाद बेच रहे हैं, जिससे आजीविका और बाजार पहुँच में अभिवृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र की महिला किसान ड्रिप इरिगेशन को अपनाकर फसल उत्पादन को बढ़ाने, जल दक्षता को सजीव बनाकर, इनपुट लागत को कम करने में सफल रही हैं। यहाँ आरम्भ बताता है कि लक्ष्य-प्राप्त समर्थन हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आधारशिला प्रदान कर सकता है और सतत कृषि विकास को अभिवृद्धि प्रदान करता है।

भविष्य की संभावनाएँ

महिला और आदिवासी कृषि उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का भविष्य आधुनिक तकनीक और पारंपरिक प्रथाओं के संयोजन में निहित है। डिजिटल

कृषि जैसे मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ज्ञान साझा करने, सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने और विपणन में मदद कर सकते हैं। क्लाइमेट-स्मार्ट खेती पहल सूखा-प्रतिरोधी फसल, जैविक इनपुट और नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने में सहायक हैं। सुदृढ़ बाज़ार संबंध, जैसे ई-कॉमर्स और डायरेक्ट-टू-कस्टमर मॉडल, लाभप्रदता बढ़ाते हैं। युवाओं और महिलाओं की कृषि और उद्यमिता में भागीदारी नवाचार, स्थिरता और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष

महिला और आदिवासी कृषि उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ समावेशी ग्रामीण विकास, भोजन सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये कार्यक्रम ऋण, तकनीक, प्रशिक्षण और बाज़ार तक पहुँच प्रदान करके उत्पादकता, आय और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। सफल कार्यान्वयन, जागरूकता अभियान और सतत निगरानी अपनाने की चुनौतियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। नवाचार और नीति समर्थन के साथ, महिला और आदिवासी किसान भारत में आधुनिक, सतत और लाभकारी कृषि के सक्रिय प्रवर्तक बन सकते हैं।